२५

(निविदा प्रपत्र के संलग्नक 'A' के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र)

निविदा प्रपत्र में संलग्नक **'A'** में समान प्रकृति के कार्यों की परिभाषा (Clarification) के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष (महो0) द्वारा आज दिनांक 02.01.2016 को प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में 'निविदा समिति' की बैठक हुई, जिसमें निविदाओं में पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धा बढ़ाये जाने के उद्देश्य से निम्नवत् निर्णय लिये गयेः–

1. साईकिल ट्रैकः–साईकिल ट्रैक के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है, कि जिस ठेकेदार द्वारा प्रदेश भर में, कहीं भी साईकिल ट्रैक अथवा अन्य सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य किया गया हो अथवा किया जा रहा हो, वे भी निविदा डालने के लिए पात्र होंगे।

2. सामान्य भवन निर्माणः– सामान्य भवन निर्माण का तात्पर्य होगा कि जिस ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार के भवन निर्माण (एक मंजिल/दो मंजिल/तीन मंजिल/चार मंजिल तक) का निर्माण कार्य अथवा किसी भी अन्य प्रकार के भवन का निर्माण कार्य किया गया हो अथवा किया जा रहा हो, निविदा डालने हेतु पात्र होंगे।

3. **निविदादाता को निविदा के साथ 'Bank Liquidity'** का अद्यतन प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा। प्राधिकरण में, वर्णित 'Liquidity' से अधिक के कार्य प्रचलित होने की दशा में, उसकी निविदा अनर्ह कर दी जायेगी।

तद्क्रम में कृपया तद्नुसार अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(मुख्य अभियन्ता) 04.1.16 | (वित्त नियन्त्रक) | (सचिव)

अनुमोदित

(उपाध्यक्ष) 2.1.16

(25)

संलग्नक–'A '

निविदा प्रपत्र (Tender document) में समान प्रकृति के कार्यों की परिभाषा (Clarification)

1. बहुमंजिली बिल्डिंगः– का तात्पर्य 15 मीटर की ऊँचाई से अधिक ऊँचाई की बिल्डिंग से होगा, जिसमें बेसमेन्ट/स्टिल्ट पार्किंग का निर्माण, लिफ्ट एवं फायर सेफ्टी सम्बन्धी कार्यों का प्राविधान भी किया गया हो।

2. 33 के0वी0 लाईन शिफ्टिंगः– का तात्पर्य होगा कि अण्डरग्राउण्ड 33 के0वी0 लाईन/11 के0वी0 लाईन बनाने अथवा शिफ्टिंग का कार्य किया हो।

3. नाले का निर्माणः– का तात्पर्य होगा कि ठेकेदार द्वारा आर0सी0सी0 नाले (स्टार्म वाटर ड्रेन) का कार्य किया गया हो।

4. साईकिल ट्रैकः– का तात्पर्य होगा कि जिस ठेकेदार द्वारा प्रदेश भर में कहीं भी साईकिल ट्रैक एवं तत्सम्बन्धी कार्य किया गया हो अथवा किया जा रहा हो।

5. सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैकः– का तात्पर्य होगा कि ठेकेदार द्वारा विशिष्ट प्रकृति का सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैक का कार्य देश में कहीं भी किया गया हो अथवा किया जा रहा हो।

6. भवनों के मध्य विकास कार्यः– का तात्पर्य होगा कि ठेकेदार द्वारा एक ही पॉकेट में सड़क, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज एवं अनुषांगिक कार्यों का कम्पोज़िट कार्य किया हो।

7. इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं रिटेनिंग वाल का कार्यः–का तात्पर्य होगा कि ठेकेदार द्वारा इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवँ रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य कम्पोज़िट वर्क के रूप में किया गया हो अथवा किया जा रहा हो।

मुख्य अभियन्ता 17/12/15